

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Appeal No. 44/2024

M/S SWAAD-E-PUNJAB

...APPELLANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS

...RESPONDENT(s)

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	REPLY ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO. 2 WITH RESPECT TO THE APPEAL IN THE CAPTIONED MATTER "M/S SWAAD-E-PUNJAB VS STATE OF UTTAR PRADESH &ORS"	
	ANNEXURES	
2.	COPY OF THE INSPECTION REPORT DT. 02.02.2024 ATTACHED AS ANNEXURE-I	
3.	COPY OF LETTER DT. 24.02.2024 ATTACHED AS ANNEXURE-II	
4.	COPY OF THE SHOW CAUSE NOTICE DT. 06.03.2024 ATTACHED AS ANNEXURE-III	

5.	COPY OF THE LETTER DT. 08.05.2024 ATTACHED AS ANNEXURE-IV	
6.	COPY OF COMPLIANCE REPORT OF JOINT TEAM AND ORDER DT. 16.08.2024 ARE ATTACHED AS ANNEXURE-V AND ANNEXURE-VI	
7.	COPY OF THE REPORT OF ACTION ATTACHED AS ANNEXURE-VII	
8.	COPY OF SAID OFFICE LETTER DT. 09.09.2024 ATTACHED AS ANNEXURE-VIII	

THROUGH COUNSEL: -



**BHANWAR PAL SINGH JADON
COUNSEL FOR UPPCB, NGT
bhanwar09jadon@gmail.com**

**DATE: 09.12.2024
PLACE: NEW DELHI**

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Appeal No. 44/2024

M/S SWAAD-E-PUNJAB

...APPELLANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS

...RESPONDENT(s)

**REPLY ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO. 2 IN APPEAL "M/S
SWAAD-E-PUNJAB VS STATE OF UTTAR PRADESH & ORS"**

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. That the captioned appeal has been filed by the Appellant assailing the Notice dt. 13.08.2024 by the Respondent, whereby the disconnection of electricity and water supply to the Appellant's unit was directed, coupled with the imposition of an environmental compensation amounting to **Rs. 27,88,884/- (Rupees Twenty-Seven Lakhs Eighty- Eight Thousand Eight Hundred Eighty Four Only).**

A Copy of the notice dt. 13.08.2024 has been attached as Annexure No.1 with the appeal itself.

2. That the captioned appeal is pending before this Hon'ble Tribunal and was last listed for hearing on 26.11.2024 whereby the Respondent was directed to file requisite reply before the next date of hearing. In compliance of the same the Respondent No. 2 has herein brought on record reply to the captioned appeal on their behalf and the same maybe taken on record.

The relevant portion of the Order dt. 26.11.2024 has been reproduced herein for ready reference:

“...3. Learned Counsel for respondents seek two weeks’ time to file the reply to application for condonation of delay as also to stay application...”

3. That the Appellant’s restaurant was previously run by Shri Manoj Kumar S/o Shri Tejpal Singh under the name of M/s Happy Punjab (M/s Swaad-e-Punjab) and a contract dt. 04.05.2024 was executed with previous owner and (1) Hemant Kumar Bharti S/o Murari Lal, (2) Ankit Sharma C/o Arun Sharma (3) Saurabh Rajput and (4) Sachin Rajput by means of which aforesaid restaurant was sold to the above mentioned four persons. That it is alleged that the inspection of the said unit “M/s Happy Punjab (M/s Swaad-e-Punjab)” situated at plot No. 07, Sector-5, Rajendra Nagar, Sahibabad, Ghaziabad was carried out and an inspection report dt. 02.02.2024 was prepared for the same by officials from RO, UPPCB, Ghaziabad. That during inspection it was observed that the unit is being operated without having CTO from UPPCB, therefore, violating the environmental norms.

A Copy of the Inspection Report dt. 02.02.2024 has been attached herein as Annexure-I.

4. That furthermore, a notice dt. 24.02.2024 was issued to the Appellant for obtaining the consent. That the Appellant was directed to give clarification regarding the same on the respective portal alongwith the details of the water pollution and air pollution control system installed. That the respondent was also directed to provide the full details of the seating capacity of people, production capacity of sweets, banquettes, etc. That the

Appellant failed to comply with the directions in the aforementioned notice.

A Copy of letter dt. 24.02.2024 has been attached herein as Annexure-II

5. That further a show cause notice dt. 06.03.2024 was issued to the said unit to ensure the compliance u/s 33A of the water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974. That an environmental compensation of **Rs. 27,88,884/- (Rupees Twenty- Seven Lakhs Eighty- Eight Thousand Eight Hundred Eighty Four Only)** was imposed upon the said unit as per the aforementioned notice. That the said amount was imposed on the basis of the formula of Environmental Compensation Calculation i.e. No. of days *EC per day ($357*7812=27,88,884$).

A Copy of the show cause notice dt. 06.03.2024 has been attached herein as Annexure-III.

6. That on 08.05.2024, a letter was issued by the Respondent regarding the show cause notice dt. 06.03.2024. directing the Appellant to send all their clarifications with respect to the above mentioned show cause notice to the Board Headquarters and the Respondent, else the said show cause notice will be confirmed.

A Copy of the letter dt. 08.05.2024 has been attached herewith as Annexure-IV.

7. That it is stated that inspection of the unit was carried out by officials from UPPCB regarding the confirmation of the show cause notice dt. 06.03.2024, Ghaziabad on 12.07.2024. That during inspection it was reported to being operated the restaurant in the name of M/s Swaad-E-Punjab, plot No. 07, Sector-5, Rajendra Nagar, Sahibabad, Ghaziabad but no record was provided in this regard. That further during inspection it was

observed that the unit is not complying the environmental norms i.e. the said institution is a restaurant (with more than 35 seating capacity) and as per office records, the said institution has not received consent for operation from the Respondent under Section 25/26 of Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 and Section 21 of Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981. That during the inspection it was observed that no arrangement for purification of effluent generated from the institution was found to be installed like Oil and Grease Trap/ETV, the effluent was directly disposed into the sewer line. Hence, UPPCB vide Order dt. 13.08.2024 held the imposition of environmental compensation of **Rs. 27,88,884/- (Rupees Twenty- Seven Lakhs Eighty- Eight Thousand Eight Hundred Eighty Four Only)** u/s 33A of the water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 on the said unit . That as per the Order dt. 16.08.2024, The District Magistrate, Ghaziabad directed the formation of a joint committee to ensure compliance of the closure orders issued in O.A. No. 204/2023 by the Hon'ble Tribunal.

A Copy of compliance report of joint team and order dt. 16.08.2024 are attached herewith as Annexure-V and Annexure-VI.

8. That it is stated that after giving proper opportunity by issuing show cause notice dt.06.03.2024 and order dt. 13.08.2024, the UPPCB also issued a report of action taken by the joint committee in compliance with the closure order dt. 16.08.2024. That in the said report it was stated that the said unit has been sealed, the electricity connection of it has been stopped and the seal has been handed over to the concerned police officer.

A Copy of the report of action has been attached herewith as Annexure-VII.

9. That it is stated that the Appellant had applied for Authorization of the said unit under (HWM) Hazardous and Other Wastes (Management and

Transboundary Movement) Rules, 2016 on 21.08.2024. That the said application was rejected vide an office letter dt. 09.09.2024 as the Appellant had not submitted the reply of clarifications raised online on 25.08.2024 to submit the following documents:

- Point wise compliance report of earlier consent Air/Water and earlier HW authorization issued by Board for operation of the unit.
- Copy of latest agreement from TSDF.
- Copy of Last HW authorization issued by board.
- Copy of Latest Form No.-10.
- Details of HW display board with photograph.
- Copy of form -4 Annual return.
- Status of deposition of EC of Rs 27,88,884/- (Rupees Twenty- Seven Lakhs Eighty-Eight Thousand Eight Hundred Eighty- Four Only) in compliance of closure order issued by Board on Dated 13.08.2024.
- Copy of registered rent agreement, land use certificate, approved map.

A Copy of said Office letter dt. 09.09.2024 has been attached herein as Annexure-VIII.

10. That it is stated that Hon'ble Tribunal vide its judgment ***Prasoon Pant & ors Vs U.P. Pollution Control Board & Ors. (O.A. No. 294/2023)*** has allowed three months time to apply and obtain CTO from UPPCB with respect to the proponents who have not applied for CTO till date. That further the Appellant has not applied for CTO. However it is statutorily mandatory for the Appellant unit to obtain CTE/CTO from UPPCB.

PRAYER

That in view of afore mentioned facts it is respectfully submitted that the said Appeal/Application filed against the Notice dt. 13.08.2024 is unmaintainable shall be dismissed/rejected.

RESPONDENT

THROUGH COUNSEL

DATE: 09.12.2024

PLACE: NEW DELHI



BHANWAR PAL SINGH JADON

COUNSEL FOR UPPCB, NGT

EMAIL- bhanwar09jadon@gmail.com

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
APPEAL NO. 44/2024**



M/S SWAAD-E-PUNJAB

...APPELLANT

VERSUS


STATE OF UTTAR PRADESH & ORS

...RESPONDENT(s)

AFFIDAVIT

I, Deokumar Gupta, S/o Vibhuti Prasad Gupta posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Ghaziabad aged about 56 years do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I am the Authorised Representative of UPPCB in the present matter and being well conversant with the facts of the case. I am competent to swear this affidavit.
2. That I have gone through the contents of the accompanying compliance reply and the contents of the same are true and correct as per my knowledge based on record and legal knowledge obtained.
3. That the Annexures annexed to the present accompanying reply are correct and true copy to my knowledge and belief on the basis of the records.



09 DEC 2024

[Signature]
09.12.24
DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Ghaziabad on this 09 day of December, 2024, that the contents of the above affidavit are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

[Signature]
DEPONENT



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1166/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

09 DEC 2024

Inspection report in compliance of Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi order dated 19.12.2023 in the matter of OA No 294/2023 Prasoon Pant & Anr. Versus U.P. Pollution Control Board & Ors.

A: General Information

1.	Name & Address of the Unit	M/s Happy Punjab, Plot No. 07, Sector-5, Rajendra Nagar, Sahiabad, Ghaziabad
2.	Establishment Year	11.02.2023
3.	Date of Inspection	02.02.2024
4.	Name and Designation of Inspecting Officer	N.K. Pandey, AEE D.D. Verma, L.A.
5.	Name of the Proprietor/Contact person, Designation	Sri Sansar Pal Mob:-9810788510
6.	Category (Hotel/Restaurant /Banquets Hall)	Restourant
7.	Capacity	40 Person
8.	Operational status	Operational
9.	Consolidated consent (Air & Water)	Unit has not obtained CTO from UPPCB.

B: Water Pollution and its Control

10.	Waste water discharge (KLD)	1.5 KLD
11.	Status of STP/ETP	Not Installed
12.	Mode of Treated effluent disposal	Sewer Line

C: Air Pollution and its Control


13.	Source of Air Pollution,	Kitchen section
14.	Status of Air Pollution Control System	Kitchen- Proper ducting/Exhaust system installed.
15.	Fuel Details	LPG/PNG


D: - EC Calculation:

16.	No. of defaulter Days	357
17.	EC Per Day in Rs as per CPCB methodology	7812
18.	Environmental Compensation Calculation	No. of days x EC per day 2788884.00

E: Action taken:

19.	Observation/Recommendation	<p>Unit is operating without valid CTO of UPPCB under Water (Prevention control of Pollution) Act. 1974 and Air (Prevention control of Pollution) Act. 1981 and unit is not complying the provision of Water (Prevention control of Pollution) Act. 1974 and Air (Prevention control of Pollution) Act. 1981.</p> <p>As per above default it is recommended for issuance of show cause notice under section 33A, of Water (Prevention control of Pollution) Act. 1974. With imposition of environmental compensation for defaulter days 357 of Rs. 2788884.00</p>
-----	----------------------------	---


(D.D. Verma)
L.A.


(N.K. Pandey)
A.E.E.

to




क्षेत्रीय कार्यालय—उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail: roghaziabad@uppcb.in

संदर्भ संख्या : 2442/सां०प्र०/23/2024

दिनांक 24/02/2024

M/s Happy Punjab,
Plot No. 07, Sector-5, Rajendra Nagar,
Sahiabad, Ghaziabad
Mob:-9810788510

विषय: जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में वर्णित प्राविधानों का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपकी इकाई का निरीक्षण इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 02.02.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय इकाई प्रतिनिधि के रूप में श्री सरसार पाल उपस्थित थे। निरीक्षण के समय आपकी इकाई द्वारा बैंकट हॉल/होटल का कार्य किया जाता है। आपकी इकाई द्वारा स्थापनार्थ एवं संचालन हेतु उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं की गयी है। ज्ञातव्य है कि आपकी इकाई/संस्था के संचालन हेतु जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत कमशः जल एवं वायु सहमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है, किन्तु आप द्वारा अपनी इकाई का संचालन बिना सहमति प्राप्त किये किया जा रहा है जो कि उक्त वर्णित अधिनियमों का उल्लंघन है। होटल/रेस्टोरेन्ट द्वारा बिना सहमति प्राप्त किये संचालन किये जाने के परिप्रेक्ष्य में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय-समय पर दिशा निर्देश भी दिये गये हैं।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण 03 कार्य दिवस में प्रस्तुत करें तथा आपकी इकाई में स्थापित जल प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का पूर्ण विवरण, लोगों के बैठने की क्षमता, मिठाई, बैकरी इत्यादि की उत्पादन की क्षमता के विवरण सहित निर्धारित शुल्क के साथ निवेश मित्र पोर्टल (www.niveshmitra.up.nic.in) पर आनलाईन आवेदन करना सुनिश्चित करें, अन्यथा अनुपालन आख्या प्राप्त न होने की दशा में इकाई/संस्था के विरुद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने तथा वायु(प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 एवं जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के आज्ञापक प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

o/c

क्षेत्रीय कार्यालय : आई०एन०एस०-2, सेक्टर-16, वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012 फोन-0120-4160108
मुख्यालय : TC-12V, विमूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक :- H07997 / सी0-1 / सा0-1682 / का0बा0नो0 / 2024

दिनांक: 06.03.2024

Recd.

M/s Happy Punjab, Plot No. 07, Sector-5, Rajendra Nagar, Sahiabad,
Ghaziabad, Mob. No. 9810788510

यह कि M/s Happy Punjab, Plot No. 07, Sector-5, Rajendra Nagar, Sahiabad, Ghaziabad जो कि उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 294 / 2023 प्रसून पन्त व अन्य बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.12.2023 को निम्न आदेश पारित किये गये हैं:-

".....13. Similar, report has been filed in respect of 58 project proponents regarding whom only it has been mentioned that environmental compensation of Rs. 9,80,000/- has been imposed. Respondent no.1- UPPCB has not enclosed copies of the orders imposing environmental compensation passed against the 58 project proponents. Specimen of the orders passed against all the 58 project proponents is attached as annexure II.

14. We are of the considered view that the amount of environmental compensation of Rs. 9,80,000/- uniformly imposed on all such units by itself implies non-consideration of the relevant aspects as such compensation has to be from the date of operation till the date of inspection which cannot be the same in respect of all the units and will be materially different and even the magnitude of capital invested, assets acquired, operations carried on will vary.

16. Respondent no.1-UPPCB is directed to file additional status report with all requisite information in tabular format and also to enclose therewith copies of the show cause notices issued and orders passed, directions issued and also replies filed and compliance made in consequence to the orders.

17. We consider it appropriate to grant opportunity of being heard to all the 58 project proponents and accordingly they are ordered to be impleaded as respondents no. 28 to 86....."

16. Respondent no.1-UPPCB is directed to file additional status report with all requisite information in tabular format and also to enclose therewith copies of the show cause notices issued and orders passed, directions issued and also replies filed and compliance made in consequence to the orders....."

यह कि उपरोक्त पारित आदेश के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इकाई का निरीक्षण दिनांक 02.02.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि उक्त इकाई M/s Happy Punjab, Plot No. 07, Sector-5, Rajendra Nagar, Sahiabad, Ghaziabad है। इकाई से जनित उत्स्रवाह के शुद्धिकरण हेतु पर्याप्त व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। इकाई का संचालन राज्य बोर्ड से बिना सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये किया जा रहा है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में वर्णित अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। इकाई को क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक 2442/सा0पत्रा0-23/2024 दिनांक 24.02.2024 द्वारा सहमति प्राप्त किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था, परन्तु इकाई द्वारा वर्तमान तक आवेदन नहीं किया गया है।

.....2/-

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा इकाई द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33 ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में इकाई के विरुद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए इकाई के संचालन को रोका जाये।

उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन आपकी इकाई M/s Happy Punjab, Plot No. 07, Sector-5, Rajendra Nagar, Sahiabad, Ghaziabad के विरुद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है—

1— यह कि क्यों न संबंधित अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाए कि इकाई M/s Happy Punjab, Plot No. 07, Sector-5, Rajendra Nagar, Sahiabad, Ghaziabad को प्रदत्त विद्युत एवं जल संयोजन को विच्छेदित कर दिया जाये ?

2— यह कि क्यों न इकाई M/s Happy Punjab, Plot No. 07, Sector-5, Rajendra Nagar, Sahiabad, Ghaziabad के उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत परिवाद दायर करा दिया जाये?

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न इकाई M/s Happy Punjab, Plot No. 07, Sector-5, Rajendra Nagar, Sahiabad, Ghaziabad के विरुद्ध मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी इकाईयों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बनायी गयी गाइड लाइन के आधार पर रु० 7,812/- प्रतिदिन की दर से कुल 357 दिन की डिफाल्ट अवधि में रु० 27,88,884/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये?

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त पर अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— जिलाधिकारी, गाजियाबाद।

2— क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1



क्षेत्रीय कार्यालय--उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail: roghaziabad@uppcb.in

संदर्भ संख्या : 217 / C / H-266 / 2024

दिनांक 02/05/2024
पंजीकृत

M/s Happy Punjab,
Plot No. 07, Sector-5, Rajendra Nagar, Sahiabad,
Ghaziabad
Mob:-9810788510

विषय: इकाई के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने तथा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण हेतु जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 06.03.2024 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच-07997/सी-1/सा०-1682/का०बा०नो०/2024 दिनांक 06.03.2024 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आपकी इकाई के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने तथा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच-07997/सी-1/सा०-1682/का०बा०नो०/2024 दिनांक 06.03.2024 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में समस्त अपना स्पष्टीकरण बोर्ड मुख्यालय एवं इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 06.03.2024 की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।
संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भारतीय

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को राखर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

मैसर्स Swade Punjab (Old Name:-Happy Punjab), Plot No. 07, Sector-5, Rajendra Nagar, Sahibabad, Ghaziabad को जारी कारण बताओं नोटिस पत्र दिनांक 06.03.2024 की पुष्टि किये जाने के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 294/2023 प्रसून पन्त एवं अन्य बनाम यू०पी० यू०पी० पोल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड एवं अन्य के अनुपालन में संस्था के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच-07997/सी-1/सा०-1682/का०ब०नो०/2024 दिनांक 06.03.2024 द्वारा कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया है। उक्त के अनुपालन में संस्था का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 12.07.2024 को किया गया। निरीक्षण के दौरान संस्था कार्यरत पायी गयी एवं संस्था प्रतिनिधि के रूप में श्री हेमन्त, मैनेजर उपस्थित थे। निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-

1. उक्त संस्था एक रेस्टोरेन्ट (क्षमता 35 सिटिंग से अधिक) है। कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त संस्था को राज्य बोर्ड से संचालन हेतु सशर्त सहमति जल एवं वायु प्राप्त नहीं है।
2. निरीक्षण के दौरान संस्था से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रेप/ई०टी०पी स्थापित नहीं पायी गयी। उत्प्रवाह सीधे सीवर लाईन में निस्तारित किया जाता है। निरीक्षण के समय उत्प्रवाह जनित न होने के कारण नमूना एकत्रण नहीं किया जा सका।
3. उक्त संस्था के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच-07997/सी-1/सा०-1682/का०ब०नो०/2024 दिनांक 06.03.2024 द्वारा रू० 10,07,748/-की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है। उक्त पत्र इस कार्यालय के पत्र संख्या 217/सी/एच-260/2024 दिनांक 08.05.2024 द्वारा भी संस्था को प्रेषित की गयी है(छायाप्रति संलग्न)। उक्त संस्था द्वारा कारण बताओं नोटिस दिनांक 06.03.2024 का प्रतिउत्तर इस कार्यालय में अप्राप्त है।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये संस्था को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत कारण बताओं नोटिस दिनांक 06.03.2024 की पुष्टि किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

क्षेत्रीय अधिकारी

(ध्रुवदेव वर्मा)
प्रयोगशाला सहायक

(एन०के०पाण्डेय)
सहायक पर्यावरण अभियंता

कार्यालय

जिलाधिकारी

गाजियाबाद।

पत्रांक ... 11.9.7/एनजीटीए-डीएनए/2024/0A 294/2024

दिनांक 11.08.2024

आदेश

गा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 294/2023 प्ररूप 201 व अन्य वनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य के अन्तर्गत उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा कतिपय इकाईयों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये गये हैं। जिराफा अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु निम्नलिखित समिति का गठन किया जाता है।

1. उपजिलाधिकारी, सदर/लोनी/मोदीनगर, गाजियाबाद।
2. सहायक पुलिस आयुक्त, सम्बन्धित पुलिस विभाग, गाजियाबाद(सम्बन्धित क्षेत्र)।
3. सहायक पर्यावरण अभियंता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद(सम्बन्धित क्षेत्र)
4. अधिराशी अभियंता, सम्बन्धित विधुत वितरण क्ष०, गाजियाबाद(सम्बन्धित क्षेत्र)।

सम्बन्धित प्रकरण में सुनवाई की अग्रिम तिथि 23.08.2024 नियत है। उपरोक्त समिति को निर्देशित किया जाता है कि इकाईयों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए आख्या क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण, गाजियाबाद बोर्ड को प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

(सुन्द विक्रम सिंह)
जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु।


1. पुलिस आयुक्त, पुलिस विभाग, गाजियाबाद।
2. उपजिलाधिकारी, सदर/लोनी/मोदीनगर, गाजियाबाद।
3. मुख्य अभियंता, परिष्कृत विधुत वितरण निगम लि0 गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से उपरोक्त इकाईयों की सूची प्राप्त करते हुए उनका तत्काल विधुत विच्छेदन कराना सुनिश्चित करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ कि इकाईयों की सूचना संकलित कर संसमय गा0 एनजीटीए को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी
गाजियाबाद।


कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद के आदेश संख्या 1189/एस0टी0-डी0एम0 /2024/ओ0ए0 294/2023 दिनांक 16.08.2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा की गयी कार्यवाही की आख्या।


उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद द्वारा गठित संयुक्त समिति को निर्देशित किया गया है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 294/2023 प्रसून पन्त व अन्य बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य के अन्तर्गत उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा कतिपय इकाईयों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

तत्कम में संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 20.08.2024 को गैसर्स का निरीक्षण किया गया।
 प्लॉट नं-7, सेक्टर-5, रातेनगर, शाहीबाबाद, गाजियाबाद का निरीक्षण किया गया।
 मौके पर इकाई प्रतिनिधि श्री की उपस्थिति में इकाई में
 निम्न संयोजित की निरीक्षण को सील करते हुये इकाई
 का संचालन बन्द कराया गया तथा सील सुपुर्दगी सम्बन्धित थाना को सौंपी गयी।


 निशांत पटेल
 (66)
 EUDD-IV 623


 20/8/24
 AEE, UPPCB,
 Ghazipur


 20/8/2024
 (AEE),
 UPPCB,
 G2B


 8/8/2024



UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Building.No. TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226 010
Telephone: +91-522-2720831, 2720681, 2720691 (Fax): +91-522-2720764

Application Id : 27847481
Dated : 09/09/2024

Category : ORANGE

Ref No. - 25794/UPPCB/Ghaziabad(UPPCBRO)/HWM/GHAZIABAD/2024

To ,
M/S SAURABH RAJPUT
SWAAD E PUNJAB
PLOT NO 7 SECTOR 5 RAJENDRA NAGAR SAHIBABAD
GHAZIABAD,GHAZIABAD,201005
GHAZIABAD

Sub : Authorization under the provisions of Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundry Movement) Rules , 2016.

Reference of Application (No and Date) : 21/08/2024 and 27847481 .

Sir,
With refrence to your application as mentioned above M/s SWAAD E PUNJAB is hereby refused Authorization based on the signed inspection report and following ground :

Reasons :-

Unit has not submitted reply of clarification raised online on dated 25.08.2024 requiring following information:-

- 1- Point wise compliance report of earlier consent Air/Water and earlier HW authorization issued by Board for operation of the unit.
- 2- Copy of latest agreement from TSDF.
- 3- Copy of Last HW authorization issued by board.
- 4- Copy of Latest Form No.-10.
- 5- Details of HW display board with photograph.
- 6- Copy of form -4 Annual return.
- 7-Status of deposition of EC of Rs 2788884 in compliance of closure order issued by Board on Dated 13-08-2024.
- 8-Copy of registered rent agreement, land use certificate, approved map.

Vikas Mishra
Digitally signed
by Vikas Mishra
Date: 2024.09.10
17:57:06 +05'30'
(Authorized Signatory)

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Copy/रिड -

CEO-1, UPPCB, LUCKNOW

Vikas
Mishra

VIKAS MISHRA
REGIONAL OFFICER
(Authorized Signatory)



मिशन LIFE - पर्यावरण के लिए जीवन शैली
(Lifestyle For Environment)
जनसहभागिता का सन्देश



- स्वच्छता - देशभर में अपने परिवेश की स्वच्छता हेतु अपना सक्रिय योगदान सुनिश्चित करें
- मंकल्प लें - एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद जैसे कप, नशनी, चम्मच, चूल्हा, ईयरबड्स आदि का उपयोग न करें पर्यावरण अनुकूल विकल्पों जैसे कागज/पत्तों में बने दोने या कटलरी को प्राथमिकता दी जाय
- एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद के प्रयोग को गैरकने एवं प्लास्टिक बैग के बजाय कंगड़े के थैले का उपयोग करने मात्र से 375 मिलियन टन ठोस (प्लास्टिक) कचरे का उन्मज्ज बचाया जा सकता है
- वार्षिक अर्थव्यवस्था (मर्क्युलर इकोनॉमी) का मनुचिन कार्यान्वयन वर्ष 2030 तक भारत में 14 करोड़ करोड़ रुपये की अतिरिक्त वचन उत्पन्न कर सकता है। वेस्ट/अपशिष्ट फेकने के पूर्व सोचें, ठे किमी का संकलन से नहीं ...
- अनुपयोगी इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को कचरे में फेकने से न करें। इसके उन्मज्ज निश्चय हेतु इसे रीसाइकल ई-वेस्ट रीसाइकलर को दें। प्राथिकृत ई-गीमाइकलिंग इकाई में अनुपयोगी इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को देने मात्र से 0.75 मिलियन टन तक ई-कचरे का पुनर्चक्रण किया जा सकता है एवं ई-कचरे के विरुद्ध पर्यावरणिक क्षति को बचा जा सकता है
- बाहर जाते समय - सोचें कि क्या आपको वास्तव में परिवहन की आवश्यकता है - वह भी जो आवश्यक है उसे छोटी दूरी के लिए पैदल चलना पसंद करें, अथवा सम्भव हो तो कार पूर के ताल से संकलन को बचाय करें अथवा मार्बजनिक परिवहन पर विचार करें
- धरेलू स्तर पर कम से कम ठोस अपशिष्ट का उन्मज्ज करें और इनका प्रयास करें
- उपयोगी शेष खाद्य सामग्री आपके स्वयं प्रयास अथवा निकटस्थ सक्रिय स्वयं सेवी संस्थाओं की सहायता से संकलन से वंचित वर्ग तक पहुंचाई जा सकती है। वहीं अनुपयोगी भोजन /खाद्य सामग्री को कंगड़े में नहीं डालें। इसके अलावा 15 अरब टन भोजन को नष्ट होने से बचाया जा सकता है
- ध्यान रखें - उपयुक्त नल और शावर के उपयोग में पानी की खपत को 30 - 40% तक कम किया जा सकता है। यदि उपयोग में न होने पर नलों को बंद रखने मात्र से 9 ट्रिलियन लीटर पानी बचाया जा सकता है
- ट्रेफिक लाइट/रेलवे क्रॉसिंग पर कार/स्कूटर के इंजन बंद करने मात्र से 22.5 ट्रिलियन लीटर का कार्बन डाइऑक्साइड बचाया जा सकता है
- परम्परागत बल्ब के स्थान पर CFL का उपयोग बिजली की खपत में प्रभावी करी सकते हैं। इसके अलावा इन बल्ब पर बिजली उपकरणों को बंद करें। स्टाफ गेटेड विद्युत उपकरणों के उपयोग को प्राथमिकता दें

हमारे द्वारा अपनी जीवन शैली की प्राथमिकताओं का उचित और पर्यावरण अनुकूल पुनर्निर्धारण करना ही पर्यावरण के प्रति हमारा दायित्व है।